कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

प्रपत्र–VI

समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता–सह– समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा– 11 (1) के अधीन)

चूँकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–जगुआ, थाना–परबत्ता, थाना सं0–365 / 2, अंचल–परबत्ता, जिला–खगड़िया में कुल–2.25 एकड़ भूमि सार्वजनिक परियोजन यथा परियोजना सुलतानगंज (भागलपुर जिला) अगुआनी घाट (खगड़िया जिला) के बीच गंगा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ निर्माण हेतु रकवा 2.25 एकड़ भूमि अपेक्षित है, अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–जगुआ थाना–परबत्ता, थाना सं0–365 / 2, अंचल–परबत्ता, जिला–खगड़िया में आद्री, बोरिंग रोड, पटना से प्राप्त सामाजिक प्रभाव आकलन (एस0 आई0 ए0) की विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन किया गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित परियोजना की क्रियान्वयन हेतु भू–अर्जन लोक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तथा परियोजना से होने वाले लाभ प्रतीयमान क्षति की सापेक्षता में अधिक है। अतः प्रस्तावित भूमि का अर्जन किये जाने की अनुशंसा सर्वसम्मति से की गई है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 2.25 एकड़ मानक माप का भूखंड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क्र0 सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध रैयत का नाम एवं पता	सीमा (भूखंड सं0)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	70	09	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.07	मुकेश सिंह वगैरह पिता घोघान सिंह सा0 सलारपुर	उ0–सिमाना बईसा द0–नीज पू0–सि0 बाईसा प0–नीज
2	128	10	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.04	बिजला गोस्वामी पिता बासदेव गोस्वामी सा0 बिदला	उ0–सि0 बइसा द0–नीज पू0–प्रमोद राय वगै0 प0–नीज
3	128	10	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.92	प्रमोद राय पिता बोढन राय वो नरेश राय पिता रती राय सा0 कन्हैयाचक	उ0–सि0 बइसा द0–नीज पू0–सि0 बइसा प0–बिजल गोस्वामी
4	96	11	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.04	कपिलदेव चौधरी पिता स्व0 बुट्टी चौधरी वो अनील चौधरी पिता नरेश चौधरी सा0 कन्हैयाचक	उ0–प्रमोद रा0 वगे द0–साविक खे0–14 पू0–प्रमोद राय वगै0 प0–नीज

5	96	11	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.25	प्रमोद राय पिता बोढ़न राय वो नरेश राय पिता रती राय सा0 कन्हैयाचक	उ0–नीज द0–दाशो सिंह पू0–सि0 करना प0–कपिलदेव चौधरी वगै0
6	97	13	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.08	हरि चौधरी पिता चुनचुन चौधरी सा0 कन्हैयाचक	उ0–प्रमोद राय वगै द0–सि0 करना पू0–कन्हैयालाल चौ प0–नीज खे0–13
7	97	13	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.01	मुस्तवाहा	उ0–कपिलदेव चौधरी द0–नीज पू0–हरि चौधरी प0–नीज
8	97	13	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.23	कन्हैयालाल चौधरी पिता जर्नादन चौधरी सा0 कन्हैयाचक	उ0–प्रमोद राय वगै द0–सि0 करना पू0–दाशो सिंह प0–हरि चौधरी
9	51	12	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.33	दाशो सिंह पिता कुताय सिंह सा0 बिदला	उ0–प्रमोद राम वगै द0–सि0 करना पू0–आलोक चौ प0–कन्हैया लाल चौधरी
10	51	12	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.17	आलोक चौधरी पिता रामानुज चौधरी सा0 कन्हैयाचक	उ0–प्रमोद राम वगै0 द0–सि0 करना पू0–विपिन चौधरी प0–दाशो सिंह
11	51	12	केवाला / खतियान / लगान रसीद	सिंचित	0.11	बिपिन चौधरी पिता किशो चौधरी सा0 कन्हैयाचक	उ0–सि0 करना द0–सि0 करना पू0–सि0 करना प0–आलोक चौधरी

यह अधिसूचना भू–अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा– 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता–सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एंव यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया और उनके कर्मचारी श्री आनन्द प्रकाश राम, कानुनगो को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा – 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बावत किसी प्रकार की आपतियाँ हितबद्व व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्त्ता
खगड़िया

ज्ञापांक 549 /भू–अ0, दिनांक 8-12-17

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक भू–अर्जन, निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, खगड़िया को जिला गजट के अगले असधारण अंक में प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित जिला गजट की बीस–बीस प्रतियाँ इस कार्यालय को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगें।
6. कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पथ प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. अबर निबंधक, खगड़िया एवं गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता
खगड़िया